भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2044

11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा

2044. श्री नारायणदास अहिरवार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में निरंतर सूखे, सीमित आजीविका संसाधनों और गरीबी के कारण बड़ी संख्या में परिवार खाद्य एवं पोषण संबंधी असुरक्षा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, अंत्योदय अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और अति गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, सरकार का बुंदेलखंड में कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए लक्षित और क्षेत्र-विशिष्ट खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम/अभियान आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा के बारे में किसी भी राज्य से कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख): सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है। लाभार्थियों का दायरा काफी व्यापक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। इस अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार, जो सबसे गरीब वर्ग में आते हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त पाने के पात्र हैं।

...2/-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के अंतर्गत, टीपीडीएस में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, राशन कार्ड/लाभार्थियों का डेटाबेस पूरी तरह से (100%) डिजिटल कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/ टोल-फ्री नंबर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर निगरानी के लिए, सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) में ई-पीओएस उपकरणों को स्थापित करके स्वचालित कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) किया जा सके। साथ ही, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा 'मेरा राशन ऐप' शुरू किया गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाता है। यह लाभार्थियों को परिवार के मुखिया के आधार नंबर का उपयोग करके लॉग इन करने और केंद्रीय रूप से राशन पात्रता देखने की सुविधा देता है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य सरकार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों का ईकेवाईसी कर रही है, ई-पीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के साथ एकीकृत कर रही है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर रही है।

(ग) और (घ): पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शी जारी की गई है। मिलेट्स (श्री अन्न), जिसे आमतौर पर पौष्टिक अनाज के रूप में जाना जाता है, पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का हिस्सा है।

पोषण की दृष्टि से, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपलब्धता के अनुसार, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले घरेलू योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेट्स (श्री अन्न) (ज्वार, मक्का और बाजरा) भी मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं।

*****